फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

मुस्मात हगामी बेवा स्व. चम्पालाल जाट निवासी लोठियाना, तहसील डूंगला वगैरा

बनाम

भगवानलाल पिता रूपलाल जाट निवासी लोठियाना, तहसील डूंगला वगैरा

कार्यवाही :– अन्तर्गत आदेश 09 नियम 12 एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

प्रकरण संख्या 101/2024 (विविध)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.12.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण/निगराकारगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध एक निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत प्रस्तुत की जिसके प्रकरण संख्या 09/2019 (नि.पं.) दर्ज होकर बहस हेतु दिनांक 29.05.2024 नियत थी। उक्त दिनांक को प्रार्थी संख्या 1 हगामी बाई का स्वास्थ्य खराब हो जाने से प्रार्थी संख्या 2 प्रेमबाई उसका ईलाज कराने में व्यस्त रहने से तारीख पेशी दिनांक 29.05.2024 को उपस्थित नहीं हो सकी तथा न ही अपनी अनुपस्थिति की सूचना अपने अधिवक्ता को दे सकी जिस कारण उनकी निगरानी प्र. सं. 09/2019 (नि.पं.) को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया। उक्त प्रकरण में पत्रावली अंतिम बहस की स्टेज पर लम्बित होकर उक्त प्रकरण में यदि मेरिट पर सुनवाई होकर निर्णय नहीं हुआ तो प्रार्थीगण/निगराकारगण को न्याय से वंचित होना पड़ेगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर उक्त प्रकरण संख्या 09/2019 (नि.पं.) को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश प्रदान करावें। अधिवक्ता विपक्षी का मुख्य कथन यह रहा कि प्रार्थीगण/निगराकारगण एवं उसके अधिवक्ता के न्यायालय में नियत पेशी पर उपस्थित नहीं होने से प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थीगण/निगराकारगण ने नियत पेशी पर बीमार हो जाने का गलत कथन अंकित किया है तथा प्रार्थीगण ने न्यायालय में अनुपस्थिति बाबत् कोई ठोस एवं सद्भावी कारण नहीं बताया है जिससे प्रार्थीगण कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें। हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। चूंकि प्रार्थीगण /निगराकारगण ने नियत तारीख पेशी पर प्रार्थी संख्या 1 हगामी बाई के बीमार हो जाने का कथन	.....लगातार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

	करते हुए नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सकने का निवेदन किया है किन्तु कथन की पुष्टि में बीमारी संबंधी कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है फिर भी सहानुभूति रखते हुए न्यायहित में राशि 500/– रूपये अक्षरे पांच सौ रूपये मात्र की कोस्ट पर प्रकरण संख्या 09/2019 (नि.पं.) निर्णय दिनांक 29.05.2024 को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण/निगराकारगण 500/– रूपये कोस्ट की राशि राजकोष में जमा करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल प्रकरण संख्या 09/2019 (नि.पं.) के संलग्न की जावे। 	